सेवाओं का ऑडिट और जांच अब महालेखाकार कार्यालय करेगा

12

चंडीगढ़। हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) कार्यालय द्वारा किए जाने वाले सभी विभागों के ऑडिट के दौरान अब सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली संबंधित विभाग की सभी सेवाओं के सैंपल की जांच, सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के समक्ष भी की जाएगी। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का ऑडिट एवं जांच अब प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा की जाएगी तथा कार्यालय द्वारा विभागों से जुड़ी सभी सेवाओं का सैंपल तैयार किया जाएगा। सूचना का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे विभागों की सेवाओं की कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी।